

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 526] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 1979/अग्रहायण 22, 1901
No. 526] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 13, 1979/AGRAHAYANA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1979

का. जा. 794(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तारीख 8 फरवरी, 1977 की अपनी अधिसूचना संख्या 434/गुज./77 को अधिकांत करते हुए निर्वाचन आयोग, तारीख 3 अक्टूबर, 1979 को इसकी अधिसूचना संख्या 434/गुज./79(2) और तारीख 2 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 434/गुज./79(4) द्वारा नियुक्त किए गए आफिसर या आफिसरों के अतिरिक्त, गुजरात राज्य में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र और सभा निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में उस जिले के उप जिला निर्वाचन आफिसर को,

जिसमें वह निर्वाचन-क्षेत्र अथवा उसका कोई भाग पड़ता है, यथास्थिति उस संसदीय अथवा सभा निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है ।

[सं. 434/गुज./79]

आदेश से,

ओं. ना. नागर, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1979

S.O. 794(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/GJ/77, dated 8 February, 1977, the Election Commission, in addition to the officer or officers appointed by its notifications No. 434/GJ/79(2), dated 3 October, 1979 and No. 434/GJ/79(4), dated 2 November, 1979, hereby appoints in respect of every parliamentary constituency and assembly constituency in the State of Gujarat, the Deputy District Election Officer of the district in which the whole or any part of that constituency lies, as the officer to assist the Returning Officer of that parliamentary or assembly constituency, as the case may be, in the performance of his functions.

[No. 434/GJ/79]

By Order,

O. N. NAGAR, Under Secy.